विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 314

दुर्ग, दिनांक - 22/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 113
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी. क्रमांक : **1001916832**

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001916832, स्वीकृत भार 2 किलोवाट, के विद्युत बिल में की गई बिलिंग को सही नहीं होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का मुख्य कथन है कि उक्त कनेक्शन में मीटर की स्थिति एवं वास्तविक खपत के अनुरूप बिलिंग नहीं की गई तथा निर्धारित अवधि में अत्यधिक यूनिट के आधार पर बिल तैयार किया गया।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 2 किलोवाट है।

3. उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

4. अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार पूर्व स्थापित मीटर की अवधि में मीटर की स्थिति डिफेक्टिव रही।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा मुख्यतः यह शिकायत की गई है कि नवंबर 2023 से जून 2025 की अवधि के दौरान लगभग 1800 यूनिट के आधार पर बिल जारी किया गया, जबकि उक्त बिलिंग वास्तविक मीटर रीडिंग अथवा समुचित फील्ड सत्यापन पर आधारित नहीं है।

आवेदक के अनुसार उक्त अवधि में की गई असेसमेंट बिलिंग का कोई समुचित एवं विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं है, अतः बिलिंग का पुनर्गणना/संशोधन किया जाना आवश्यक है।

आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा लोड की प्रकृति को देखते हुए कैपेसिटर सरचार्ज/पावर फैक्टर संबंधी प्रभार लगाया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त अवधि में लगाए गए ऐसे प्रभारों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन की अवधि अप्रैल 2018 से जून 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2018 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा जुलाई 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग वास्तविक एवं उचित खपत के अनुरूप है?

2. क्या उक्त अवधि की बिलिंग को स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात प्राप्त औसत वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किया जाना उचित है?

3. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को बनाए रखना उचित है?

4. आवेदक को किस प्रकार की राहत प्रदान किया जाना उचित होगा?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत मीटर डायरी, बिलिंग डाटा एवं रीडिंग/गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

6.1 डिफेक्टिव मीटर की अवधि की बिलिंग

अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2018 से जुलाई 2025 तक लगातार डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर खपत निर्धारित किया जाना संभव नहीं था।

इस अवधि में कुछ महीनों में लगभग 1436 यूनिट तथा शेष महीनों में 1800 यूनिट के आधार पर बिलिंग की गई है।

जुलाई 2025 में कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात प्राप्त वास्तविक खपत का परीक्षण करने पर औसत मासिक खपत लगभग 296 यूनिट पाई गई है।

फोरम का मत है कि जब पूर्व मीटर डिफेक्टिव था और वास्तविक मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं थी, तब मात्र 1436/1800 यूनिट की आधारभूत खपत मानकर दीर्घ अवधि तक बिलिंग करना उचित नहीं माना जा सकता। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत का अभिलेखीय आधार पर परीक्षण करने पर 296 यूनिट औसत मासिक खपत प्राप्त होती है।

अतः डिफेक्टिव मीटर की अवधि में की गई संबंधित बिलिंग का पुनर्गणना कर 296 यूनिट औसत मासिक खपत के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जाना उचित है, बशर्ते लागू नियमों के अनुसार अन्य कोई विशिष्ट समायोजन आवश्यक न हो।

6.2 कैपेसिटर सरचार्ज

अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में उपभोक्ता के बिल में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है।

जब उक्त अवधि में मीटर की स्थिति डिफेक्टिव थी और वास्तविक विद्युत खपत/संबंधित विद्युत पैरामीटर का विश्वसनीय मीटरिंग डाटा उपलब्ध नहीं था, तब उक्त अवधि के लिए कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग को बनाए रखने का पर्याप्त आधार अभिलेखों से स्थापित नहीं होता।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की संबंधित अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त/हटाया जाना उचित है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना, अभिलेखों के परीक्षण एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नलिखित आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की संबंधित अवधि की बिलिंग का पुनः परीक्षण एवं पुनर्गणना करें।

2. उक्त अवधि की बिलिंग में, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात प्राप्त 296 यूनिट की औसत मासिक खपत को आधार मानते हुए लागू नियमों/प्रावधानों के अनुसार आवश्यक बिल संशोधन किया जाए।

3. मीटर के डिफेक्टिव रहने की संबंधित अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त कर बिल से हटाया जाए।

4. उपरोक्त संशोधन एवं पुनर्गणना के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी स्पष्ट एवं विस्तृत प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग